

फ्रांस को चावल के निर्यात पर परिपत्र

यह सूचित किया जाता है कि फ्रांस द्वारा 6 मार्च 2024 को एसपीएस अधिसूचना G/SPS/N/FRA/20 जारी किया गया है, जिसमें थियाक्लोप्रिड के निलंबन का उल्लेख भी किया गया है।

थियाक्लोप्रिड का उपयोग स्टेम बोरेर के एवज में किया जाता है तथा इसका केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति की दिनांक 30.11.2024 तक कीटनाशकों (इंसेक्टिसाइड्स) के प्रमुख उपयोगों की सूची के अनुसार चावल में लेबल दावा भी है।

चूंकि फ्रांस भारतीय चावल के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में से एक है, इसलिए निर्यातकों को अधिसूचित परिवर्तनों का पालन करने की सलाह दी जाती है। अधिसूचना के कार्यान्वयन पर, यह निहित है कि चावल में थियाक्लोप्रिड का अवशेष स्तर नहीं पाया जाएगा।

अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए, अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) का अनुपालन यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अनुसार किया जा सकता है। यूरोपीय संघ ने विभिन्न उत्पादों में थियाक्लोप्रिड के एमआरएल को उत्पाद-विशिष्ट निर्धारण सीमा ('एलओडी') पर सेट किया है, जैसा कि 22 अक्टूबर 2024 के आयोग विनियमन (ईयू) 2024/2711 में उल्लेख किया गया है, जो 12 मई 2025 से लागू होगा।

चूंकि फ्रांस द्वारा जारी अधिसूचना 25 फरवरी, 2024 से लागू हो जाएगी, इसलिए निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अस्वीकृति से बचने के लिए आवश्यकताओं का पालन करें।

थियाक्लोप्रिड के एमआरएल में परिवर्तन के संबंध में आयोग के विनियमन का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है:

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2711/oi>

(विनीता सुधांशु)
महाप्रबंधक